माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई–मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
कार्या :–(0755) 2551166–71(111)

क्रमाँक /गोपनीय–समन्वय/1509/2021 भोपाल, दिनांक 05/03/2021

//आदेश//

प्रायोगिक परीक्षाओं के संदर्भ में जारी आदेश क्रमांक 1486/गोपनीय/2021, दिनांक 26.02.2021 को अधिक्रमित करते हुये वर्ष 2021 की हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा एवं हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम, पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि एवं शारीरिक प्रशिक्षण परीक्षा के नियमित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षायें उनसे संबंधित अध्ययनरत शालाओं में तथा स्वाध्यायी छात्रों की प्रायोगिक परीक्षायें परीक्षा केन्द्र में ही **दिनांक 30 अप्रैल से 18 मई 2021 तक** नियमित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षायें अध्ययनरत संस्था में **17 अप्रैल से 27 अप्रैल 2021** के मध्य सम्पन्न की जाएगी।

2. प्रायोगिक परीक्षाओं का संचालन सुव्यवस्थित रूप से निर्धारित समयावधि में सम्पन्न किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम घोषित किया जाता है।

परीक्षा का नाम	प्रायोगिक परीक्षायें सम्पन्न करवाने की अवधि	समन्वयक शाला में प्रायोगिक अंक प्राप्त होने की तिथि	संभागीय कार्यालय द्वारा समन्वयक संस्था से अंक प्राप्त करने का विवरण	संभागीय कार्यालय से मुख्यालय में अंक प्राप्त होने की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5
हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी एवं हा.से. व्यावसायिक पाठ्यक्रम ,पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि एवं शारीरिक प्रशिक्षण परीक्षा वर्ष 2021 (नियमित एवं स्वाध्यायी)	(i)नियमित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा 17 अप्रैल से 27 अप्रैल 2021 के मध्य संस्था में। (ii) स्वाध्यायी छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र में दिनांक 30 अप्रैल से 18 मई 2021 के मध्य संपन्न होगी।	संबंधित संस्था की समस्त विषयों की प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न होने से अगले दिन नियमित हेतु– (i) 28 अप्रैल 2021 (ii) स्वाध्यायी हेतु 19 मई 2021	(i) नियमित छात्रों के अंक 28 अप्रैल एवं (ii) स्वाध्यायी छात्रों के अंक 19 मई 2021 तक समन्वय संस्था से संभागीय अधिकारी अपने कर्मचारी भेजकर अंक प्राप्त करेंगें।	नियमित हेतु 30.04. 2021 व स्वाध्यायी हेतु 22.05.2021

3. प्रायोगिक परीक्षाओं के संचालन हेतु निम्न संस्थाओं को समन्वयक संस्था एवं संस्था के प्राचार्य को समन्वयकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

क्र.	जिला	समन्वयक संस्था का नाम	क्र.	जिला	समन्वयक संस्था का नाम
1	मुरैना	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. मुरैना	27	देवास	शा.एस.एन.उत्कृष्ट उ.मा.वि क्र.2 देवास
2	श्योपुर	शा.बालक उत्कृष्ट उ.मा.वि.श्योपुर कलां	28	आगर	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. आगर
3	भिण्ड	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र.1 भिण्ड	29	झाबुआ	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. झाबुआ
4	ग्वालियर	शा.पद्मा कन्या उ.मा.वि. लश्कर	30	धार	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र.1 घोड़ा चौपाटी धार
5	दतिया	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. दतिया	31	इन्दौर	शा. मालव कन्या उमावि मोतीतबेला, इन्दौर
6	शिवपुरी	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. शिवपुरी	32	खरगौन	शा. डी.ए. बालक उत्कृष्ट उमावि क्र. 1 खरगौन
7	गुना	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. गुना	33	बड़वानी	शा.बालक उत्कृष्ट उ.मा.वि.क्र.1 बड़वानी
8	अशोकनगर	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. अशोकनगर	34	खण्डवा	शा रायचन्द नागड़ा बहु. उत्कृष्ट उ.मा.वि. खण्डवा
9	टीकमगढ़	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र.1 टीकमगढ़	35	बुरहानपुर	शा. सुभाष उ.मा.वि. बुरहानपुर
10	छतरपुर	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र.1 छतरपुर	36	अलीराजपुर	शा. सरप्रताप उत्कृष्ट उ.मा.वि. अलीराजपुर
11	पन्ना	शा.आर.पी.उत्कृष्ट उ.मा.वि. पन्ना	37	राजगढ़	शा. बालक उत्कृष्ट उ.मा.वि. राजगढ़
12	सागर	शा.एम.एल.बी. कन्या उ.मा.वि.क्र.1, सागर	38	विदिशा	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. विदिशा
13	दमोह	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. दमोह	39	भोपाल	मॉडल उ.मा.वि. टी.टी. नगर भोपाल
14	निवाड़ी	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. निवाड़ी	40	सीहोर	शा.बालक उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र.1 सीहोर
15	सतना	शा. व्यंकटउत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र.1 सतना	41	रायसेन	शा. बालक उत्कृष्ट उ.मा.वि. रायसेन
16	रीवा	शा.मार्तण्ड उ.मा.वि.क्र–1 रीवा	42	बैतूल	शा. बहु. उत्कृष्ट उ.मा.वि. बैतूल
17	शहडोल	शा. रघुराज उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र.2 शहडोल	43	होशंगाबाद	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. होशंगाबाद
18	उमरिया	शा.बालक उत्कृष्ट उ.मा.वि. उमरिया	44	हरदा	शा. डां. बी.आर अम्बेडकर उत्कृष्ट उ.मा.वि. हरदा
19	सीधी	शा. उ.मा.वि. क्र. 2 सीधी	45	जबलपुर	शा.एम.एल.बी.कन्या उ.मा.वि. जबलपुर
20	अनूपपुर	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. चेतना नगर अनूपपुर	46	कटनी	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. माधवनगर कटनी
21	सिंगरोली	शा.बालक उ.मा.वि. बैढन, सिंगरोली	47	नरसिंहपुर	शा. उ.मा.वि. नरसिंहपुर
22	मंदसौर	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र. 1 मंदसौर	48	मण्डला	शा. उ.मा.वि. क्र.2 मण्डला
23	नीमच	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र.1 नीमच	49	डिण्डोरी	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. डिण्डोरी
24	रतलाम	शा. बालक उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र.2 रतलाम	50	छिन्दवाड़ा	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. छिन्दवाड़ा
25	उज्जैन	शा. कन्या उ.मा.वि. सराफा उज्जैन	51	सिवनी	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. सिवनी
26	शाजापुर	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. शाजापुर	52	बालाघाट	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. बालाघाट

4. बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति

4.1 नियमित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा के लिये आंतरिक मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति संबंधित शाला के प्राचार्य द्वारा अपनी संस्था में कार्यरत संबंधित विषय के शिक्षकों में से की जायेगी।

4.2 हाईस्कूल विज्ञान विषय की प्रायोगिक परीक्षा में आंतरिक मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति, बाह्य मूल्यांकनकर्ता के विषय समूह के पूरक के रूप में की जाये। उदाहरण के लिये यदि बाह्य परीक्षक भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र ग्रुप का है तो आंतरिक मूल्यांकनकर्ता जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र ग्रुप का नियुक्त किया जाये।

4.3 यदि अपवादित स्वरूप में, एक ही मूल्यांकनकर्ता को एक से अधिक शाला में बाह्य मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया जाता है तो यह सुनिश्चित किया जाये की ऐसी शालाओं की प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथियां अलग–अलग हो।

निरंतर....2

4.4 यदि किसी बाह्य मूल्यांकनकर्ता के समय पर उपस्थित नहीं होने के कारण प्रायोगिक परीक्षा प्रभावित होती है तो, जिले की समन्वय संस्था के प्राचार्य तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क कर चयनित सूची से अन्य बाह्य मूल्यांकनकर्ता की व्यवस्था करावेंगे।

4.5 एक बाह्य मूल्यांकनकर्ता को उतने ही छात्र आवंटित किये जावें जिनकी परीक्षा एक दिन में अच्छी तरह से ली जा सके।

4.6 एक मूल्यांकनकर्ता को एक ही विषय की प्रायोगिक परीक्षा के लिये बाह्य मूल्यांकनकर्ता नियुक्ति किया जावे, भले ही वह दो विषयों में योग्यता धारण करते हो।

4.7 जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के निर्णयानुसार जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण, बाह्य मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति का कार्य 10 अप्रैल 2021 तक पूर्ण करके शालाओं को आवंटित मूल्यांकनकर्ता की सूची 12 अप्रैल 2021 तक संबंधित समन्वय संस्थाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। **बाह्य मूल्यांकनकर्ताओं हेतु नियुक्त नामों की प्रविष्टि मण्डल की वेबसाइड www.mpbese.nic.in पर दिनांक 20.04.2021 तक करावें।**

4.8 बाह्य मूल्यांकनकर्ता के नियुक्ति पत्र चार प्रतियों में तैयार किये जावेगें, जिसमें से एक प्रति मूल्यांकनकर्ता को, द्वितीय प्रति संबंधित मूल्यांकनकर्ता की संस्था प्राचार्य को, तृतीय प्रति जिस संस्था पर बाह्य मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया गया है, के प्राचार्य/अग्रेषण संस्था को प्रेषित की जायेगी, तथा चतुर्थ प्रति कार्यालय प्रति के रूप में रखी जावें।

यह ध्यान रखा जावें कि किन्ही दो शालाओं के शिक्षकों को एक दूसरे में परस्पर बाह्य मूल्यांकनकर्ता नियुक्त न किया जावे तथा एक ही संकाय के दो विषयों में एक संस्था पर बाह्य मूल्यांकनकर्ता एक ही संस्था के नियुक्त न हो।

5. मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म0प्र0 के अनुमोदन उपरान्त सत्र 2018–19 से माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा संचालित हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में परीक्षा आंतरिक मूल्यांकन/प्रायोगिक परीक्षा हेतु अंक विभाजन निम्नानुसार संशोधन किया गया है :—

(5.1) हाईस्कूल

हाईस्कूल नियमित छात्रों हेतु विज्ञान विषय के अतिरिक्त अन्य समस्त विषयों के आंतरिक अंकों की प्रविष्टि एक ही ओ.एम.आर. में की जायेगी यह शीट मण्डल द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी, विज्ञान विषय के लिये पूर्व व्यवस्था यथावत है। विज्ञान एवं अन्य विषयों के लिये ओ.एम.आर. पृथक–पृथक रहेंगी।

सैद्धांतिक परीक्षा	आंतरिक मूल्यांक/प्रायोगिक परीक्षा 20 अंक	
80 अंक	15 अंक	05 अंक
प्रथम भाषा	प्रोजेक्ट कार्य	नोट बुक प्रस्तुतीकरण
द्वितीय भाषा	प्रोजेक्ट कार्य	नोट बुक प्रस्तुतीकरण
तृतीय भाषा	प्रोजेक्ट कार्य	नोट बुक प्रस्तुतीकरण
गणित	प्रोजेक्ट कार्य	नोट बुक प्रस्तुतीकरण
विज्ञान	प्रायोगिक कार्य	नोट बुक प्रस्तुतीकरण
सामाजिक विज्ञान	प्रोजेक्ट कार्य	नोट बुक प्रस्तुतीकरण

उपरोक्त विषयो के अतिरिक्त अन्य विषयों जैसे एन.एस.क्यू.एफ, माइनर भाषायें अंध,मूक,बधिर छात्रों के लिये पेंटिग एवं संगीत विषय के प्रश्नपत्र निर्माण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था पूर्व वर्ष की भॉति यथावत रहेगी।

हाईस्कूल परीक्षा हेतु नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों के लिये प्रश्नपत्र का निर्माण 100 अंकों का ही होगा एवं केवल नियमित छात्रों हेतु तालिका में दर्शाये अनुसार 100 अंक का 80% अधिभार अंकसूची में प्रदर्शित किया जायेगा। नियमित छात्रों हेतु 80 अंक सैद्धान्तिक परीक्षा एवं 20 अंक प्रोजेक्ट/प्रायोगिक कार्य तथा नोटबुक हेतु निर्धारित हैं। **स्वाध्यायी छात्रों हेतु आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं किया गया है। समस्त संस्था प्राचार्य इस आशय की जानकारी से संस्था में अध्ययनरत समस्त छात्रों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।**

हाईस्कूल परीक्षा के आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक (15+05) पृथक–पृथक भेजने के स्थान पर, संस्था मण्डल को एकजाई अंक भेजें, तथा शाला स्तर पर नोट बुक प्रस्तुतीकरण के अंक संधारित करें।

5.2 हायर सेकेण्डरी

माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा संचालित हायर सेकेण्डरी के नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों हेतु निम्नानुसार तालिका में दर्शाये गये प्रायोगिक विषयों का मूल्यांकन (70 अंको की सैद्धान्तिक परीक्षा तथा 30 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा, के आधार पर) किया जायेगा।

निरंतर......3

क्र.	विषय	वर्ष 2018–19 से नवीन व्यवस्था	
		सैद्धान्तिक	प्रायोगिक
1	भूगोल	70	30
2	मनोविज्ञान	70	30
3	इन्फरमेक्टिस प्रेक्टिस	70	30
4	होमसाइंस	70	30
5	कृषि	70	30
	विज्ञान समूह	70	30
6	भौतिक शास्त्र	70	30
7	रसायन शास्त्र	70	30
8	जीव विज्ञान	70	30
	कृषि समूह		
9	कृषि के लिये उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व	70	30
10	फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र	70	30
11	पशुपालन दुग्ध व्यवस्था मुर्गीपालन एवं मत्सय पालन	70	30
	गृहविज्ञान समूह		
12	गृह प्रबन्ध पोषण एवं वस्त्र विज्ञान	70	30
13	शारीरिक रचना, क्रिया विज्ञान एवं स्वास्थ्य	70	30
14	विज्ञान के तत्व	70	30
15	बायोटेक्नोलॉजी	70	30
	वाणिज्य समूह		प्रोजेक्ट कार्य (आंतरिक मूल्यांकन हेतु)
16	व्यवसाय अध्ययन	80	20
17	व्यवसाय अर्थशास्त्र	80	20
18	बहीखाता एवं लेखांकन	80	20

5.3 वाणिज्य संकाय के नियमित छात्रों के आंतरिक अंक हेतु पृथक ओ.एम.आर.शीट प्रदान की जायेगी अन्य प्रायोगिक विषयों के लिये विषयवार ओ.एम.आर.शीट प्रदान की जायेगी।

5.4 नियमित छात्रों हेतु व्यवस्था –

वाणिज्य (Commerce) संकाय मे नियमित छात्रों हेतु 100 अंक का प्रश्नपत्र निर्धारित है 100 अंकों मे से प्राप्तांक का 80% अधिभार अंकसूची मे प्रदर्शित किया जावेगा एवं 20 अंक Project Work के लिये निर्धारित है। **समस्त संस्था प्राचार्य इस आशय की जानकारी से संस्था में अध्ययनरत समस्त छात्रों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।**

5.5 स्वाध्यायी छात्रों हेतु व्यवस्था –

वाणिज्य (Commerce) संकाय मे स्वाध्यायी छात्रों के लिये 100 अंक का प्रश्नपत्र होगा एवं 100 अंको मे से ही प्राप्तांक अंकसूची मे प्रदर्शित किये जायेंगे। स्वाध्यायी छात्रों हेतु Project Work का प्रावधान नही रखा गया है।

उपरोक्त तालिका में दर्शाये गये विषयों के अतिरिक्त सभी प्रायोगिक तथा सैद्धान्तिक विषयों की परीक्षा/मूल्यांकन व्यवस्था पूर्व वर्ष की भांति यथावत रहेगी।

6 प्रायोगिक परीक्षा के अंक प्रेषण :–

6.1 जिले की समन्वयक संस्था के प्राचार्य द्वारा जिले की शालाओं के संबंध में निम्न प्रारूप में पंजी संधारित की जायेगी, जिसमें अंकों के लिफाफों एवं प्रायोगिक उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल प्राप्त होने का विवरण अंकित किया जायेगा :–

स. क्र.	शाला का नाम	विषय	प्रायोगिक परीक्षा की तिथि	उत्तरपुस्तिका एवं अंकों के लिफाफें जमा करने की तिथि	शाला प्राचार्य/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर/नाम/फोन नंबर	समन्वयक संस्था प्राचार्य के हस्ताक्षर/नाम/फोन नंबर

6.2 प्रायोगिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि केवल मण्डल द्वारा उपलब्ध कराये गये फाईल/काउन्टर फाईल (ओ.एम.आर. शीट्स) में ही की जावेगी, अन्य किसी पेपर का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

6.3 अंकों की ओ.एम.आर.की छायाप्रति संबंधित शाला के प्राचार्य, पृथक सीलबंद लिफाफें में जिले की समन्वयक संस्था के प्राचार्य के पास जमा करावेंगे, प्राचार्य, समन्वय संस्था इन अंको के लिफाफो को 06 माह तक सुरक्षित रखेंगे।

निरंतर......4

6.4 प्रायोगिक परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं के विषयवार बण्डल तैयार करके उनके ऊपर निम्न जानकारी स्पष्ट अक्षरों में अंकित की जावें :–

1. परीक्षा का नाम 2. परीक्षा सम्पन्न कराने वाली शाला का कोड क्रमांक, 3. सैद्धांतिक परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्र क्रमांक, 4. विषय, 5. उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या, 6. विषय कोड, 7. उपस्थित छात्रों की संख्या, 8. अनुपस्थित छात्रों की संख्या।

विषयवार तैयार किये गये इन बण्डलों में हाईस्कूल परीक्षा के मामले में हरे रंग तथा हायर सेकेण्डरी परीक्षा के मामले में लाल रंग के कपड़े में इकट्ठा बण्डल बनाया जाये। बण्डल के ऊपर यह स्पष्ट लिखा जाये कि बण्डल में कौन–कौन से विषय की कितनी–कितनी उत्तरपुस्तिकायें हैं। जिन परीक्षा केन्द्रों पर नियमित तथा स्वाध्यायी दोनों ही प्रकार के छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा होना है, उनके हरे एवं लाल रंग कपड़े के बण्डलों के भीतर ही नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों के बण्डल पृथक–पृथक रखें जावें। प्रत्येक बण्डल में उत्तरपुस्तिकायें 200 से अधिक न रखें।

7. **पारिश्रमिक एवं मानदेय का भुगतान**

7.1 प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए समन्वय संस्था के प्राचार्य/कर्मचारियों को निम्नानुसार मानदेय का भुगतान किया जावें :–

1. समन्वयक संस्था के प्राचार्य को	रूपये 720/–(सात सौ बीस)
2. समन्वयक संस्था के परीक्षा सहायक को	रूपये 300/–(तीन सौ)
3. समन्वयक संस्था के परीक्षा कार्य से संबंधित लिपिक को	रूपये 120/–(एक सौ बीस)
4. समन्वयक संस्था के परीक्षा कार्य से संबंधित भृत्य को	रूपये 85/– (पिच्यासी)
5. समन्वयक संस्था में पैकिंग एंव डाक व्यय	रूपये 220/–(दो सौ बीस)

7.2 प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराने वाले बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकनकर्ता को निम्नानुसार पारिश्रमिक भुगतान किया जायेगा:–

1. हायर सेकेण्डरी परीक्षा में प्रति छात्र 6/–रूपये प्रति विषय एवं न्यूनतम 100/– प्रति परीक्षक।
2. हाईस्कूल परीक्षा में प्रति छात्र 5/– न्यूनतम 100/– प्रति परीक्षक
3. हायर सेकेण्डरी की प्रायोगिक परीक्षा के लिए विज्ञान सहायक/प्रयोगशाला सहायक को 02/– रूपये प्रति छात्र अथवा रूपये 80/– जो भी अधिक हो का भुगतान किया जायेगा।
4. हाईस्कूल की प्रायोगिक परीक्षा के लिए विज्ञान सहायक/प्रयोगशाला सहायक को 1/– रूपये प्रति छात्र अथवा रूपये 60/– जो भी अधिक हो, का भुगतान किया जायेगा।

आदेश की प्रतियां समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं को भिजवाये जाने की कार्यवाही परीक्षा संभाग के द्वारा की जावेगी।

वित्त कक्ष के द्वारा प्रायोगिक परीक्षा के संचालन हेतु राशि का आवंटन दिनांक 31/03/2021 तक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

सी.एस.ओ. डाटा द्वारा प्रायोगिक परीक्षा हेतु संस्थावार/विषयवार छात्र संख्या वित्त अधिकारी को दिनांक 10/04/2021 तक उपलब्ध करावेंगे।

8. **ओ.एम.आर. में त्रुटि सुधार :–** मण्डल द्वारा उपलब्ध ओ.एम.आर. में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर संशोधित, अंक पत्रक निर्धारित तिथि 05.05.2021 के उपरान्त किसी भी दशा में मान्य नहीं किया जावेगा।

9. **अंक प्रेषण हेतु विलंब शुल्क :–** अंक प्राप्ति की उपरोक्त निर्धारित तिथियों के उपरांत संस्थाओं के द्वारा नियमित छात्र के अंक दिनांक 29/04/2021 तक Rs2000/–(दो हजार रूपये) प्रति परीक्षा एवं 02/05/2021 तक Rs5000/–(पांच हजार रूपये) प्रति परीक्षा के मान से विलंब शुल्क जमा करने के उपरांत ही अंक जमा किये जावेंगे, इसके पश्चात प्रायोगिक परीक्षा के अंक मान्य नही किये जावेगे साथ ही अंक समयावधि में जमा नही करने के कारण संस्था की संबद्वता समाप्त करने की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

(अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित)

05/3/21

परीक्षा नियंत्रक
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
मध्यप्रदेश भोपाल

निरंतर......5

पृष्ठांकन क्रमांक/गोपनीय–समन्वय/1510/2021 भोपाल, दिनांक 05/03/2021

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन मंत्रालय, भोपाल, म.प्र.,
2. आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
4. समस्त कलेक्टर/ पुलिस अधीक्षक म.प्र.।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत म.प्र.।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण म.प्र.।
7. आंचलिक अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, इन्दौर/समस्त संभागीय अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.की ओर भेजकर लिखा जाता है कि मण्डल मुख्यालय में अंक जमा कराने की निर्धारित तिथि में समस्त परीक्षाओं के अंकों के "डी" एवं "ई" कव्हर को संस्थावार पृथक–पृथक सूची तैयार कर भेजना सुनिश्चित करें।
8. वित्त अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल। कृपया समस्त संस्थाओं को प्रायोगिक परीक्षा के संचालन हेतु आवश्यक धनराशि 31/03/2021 तक उपलब्ध कराएँ।
9. चीफ सिस्टम ऑफिसर (सी.एस.ओ.) माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल, की ओर प्रेषित करते हुये अनिवार्यतः अपेक्षित है कि हा.से. एवं हाईस्कूल के प्रायोगिक विषयों की संस्थावार, विषयवार छात्र संख्या की सूची वित्त अधिकारी की ओर 31/03/2021 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण, म.प्र. कृपया अधीनस्थ शालाओं के प्राचार्यो के नाम परिपत्र जारी कर निर्देशित करें कि उनके अधीनस्थ शिक्षक जिन्हें प्रायोगिक परीक्षा का कार्य दिया गया है समय पर प्रायोगिक परीक्षा लें। कृपया प्रायोगिक परीक्षाओं हेतु शालाओं में पर्यवेक्षण की योजनाबद्ध प्रणाली व्यवहृत करें।
11. समस्त प्राचार्य, मान्यता प्राप्त संस्थायें/प्रायोगिक परीक्षा समन्वयक शालाएँ (जिला समन्वयक) जिला मुख्यालय (समस्त) मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुये अपेक्षित है कि कृपया प्रत्येक परीक्षा के संस्था से प्राप्त अंकों की प्रविष्टी, प्राप्ति तिथि सहित अंकित करें तथा सभी संस्थाओं के अंको के लिफाफे सूचीबद्ध कर संबंधित संभागीय कार्यालय को क्रमशः दिनांक 28/04/2021 एवं स्वाध्यायी छात्रों के अंक 19/05/2021 तक अनिवार्यतः सौंपे। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त लिफाफे स्वीकार नहीं किये जाऐंगे। प्रायोगिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल सूचीबद्ध कर, विषयवार व्यवस्थित कर, समन्वयक संस्था में ही रखें जावें।
12. निज सचिव/निज सहायक, अध्यक्ष/सचिव/अतिरिक्त सचिव/परीक्षा नियंत्रक माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल।
13. श्री सुनील जैन, वरिष्ठ तकनीकी निर्देशक, एन.आई.सी., सी–विंग–भवन, विंध्याचल भवन, भोपाल म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

05/3/21

परीक्षा नियंत्रक
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
मध्यप्रदेश भोपाल